न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 103/2017(जी.सी.एम.एस. 2017/00235)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर	1. नीरज [illegible] पुत्र [illegible] जाति अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर। 2. अनुज कुमार पुत्र केवलचन्द जाति अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर। 3. केवलचन्द पुत्र मोहरी राम जाति अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर। 4. सुरेश रानी पुत्री मोहरी राम जाति अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर। 5. नागचन्द पुत्र सोनाराम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ श्रीकरणपुर। 6. विशाल पुत्र मनमोहन जाति खत्री निवासी श्रीकरणपुर। 7. हरबंश सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ओ ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. अमनदीप सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीकरणपुर। 9. भजन प्रकाश पुत्र हजारी लाल जाति कम्बोज निवासी मानकसर। 10. दर्शन कुमार पुत्र रामलाल जाति अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर।

तारीख रजूः- 08.12.2017

उपस्थितः 1.पैरोकार राज

2. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

3- श्री मंकू शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8, 10

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- **दिनांक : 10.12.2024**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरव्वा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाए प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा उक्त भूमि में निर्माण कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय व औद्योगिक निर्माण कर भूमि को अकृषि योग्य बना दिया है तथा अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचान किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर खड्डे खोदकर नींव भर दी गई है, जो धारा 177 की उल्लंघना है। उक्त भूमि बिना रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि को अकृषि योग्य बना दिया गया है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरव्वा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जावे।

2- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 8, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री मंकू शर्मा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7, 9 द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 10 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार चक 1 एफ ए के मुरव्वा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 6, 8/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है, जो निर्माण आवासीय व औद्योगिक नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण करके भूमि की प्रकृति में बदलाव नहीं किया है, किसी भी प्रकार से कोई अवैध प्लॉट नहीं काटे है। अप्रार्थी द्वारा भूमि में कोई खड्डे नहीं खोदे गये व धारा 177 आरटीए का उल्लघन नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा मौका की रिपोर्ट मिथ्या पेश की है। पटवारी हल्का द्वारा सही रूप से मौका नहीं देखा है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वादपत्र वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

R yadav
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

इस प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक [illegible]

(i) आया कि क्या चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 [illegible] नम्बर [illegible] 13 ता 18, 23, 24, 25 को बिना रूपान्तरण [illegible] आवासीय व औद्योगिक निर्माण कर [illegible] आरटीए का उल्लघंन होने के कारण रकबा राज [illegible]

(ii) आया कि क्या उक्त भूमि के संबध मे प्रस्तुत रिपोर्ट मिथ्या होने के कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध मे धारा 177 आरटीए का उल्लघन नहीं है। [illegible]

(iii) अनुतोष। [illegible]

साक्ष्य स्टेज मे पैराकार राज के द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। [illegible] प्रतिवादी मे अपने जवाबदावा के समर्थन मे स्वयं प्रतिवादी [illegible] दर्शन कुमरी के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। [illegible]

उभयपक्षकारान की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर [illegible] दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानो पर गौर किया। इस प्रकरण में तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझता है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 को बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय व औद्योगिक निर्माण कर, धारा 177 आरटीए का उल्लघंन होने के कारण रकबा राज किया जाना उचित है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 को बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि कार्य के उपयोग में लेने के कारण बहक सरकार लिए जाने बावत निवेदन किया गया है। राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मौडा के मुताबिक चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 कृषि भूमि में प्लाट काटकर आवासीय मकान, स्कूल, दुकाने बनाकर अवैध रूप से अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। लिहाजा प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाए आवासीय व वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 177 का उल्लघंन है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या उक्त भूमि के संबध में प्रस्तुत रिपोर्ट मिथ्या होने के कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 177 आरटीए का उल्लघन नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 7, 8, 10 की थी। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 10 के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए है कि चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 6, 8/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है, जो निर्माण आवासीय व औद्योगिक नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण करके भूमि की प्रकृति में बदलाव नहीं किया है, किसी भी प्रकार से कोई अवैध प्लॉट नहीं काटे है। अप्रार्थी द्वारा भूमि में कोई खड्डे नहीं खोदे गये व धारा 177 आरटीए का उल्लघन नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा मौका की रिपोर्ट मिथ्या पेश की है। पटवारी हल्का द्वारा सही रूप से मौका नहीं देखा है। लिहाजा रिपोर्ट पटवारी हल्का मौडा के मुताबिक प्रतिवादीगण द्वारा चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 कृषि

R yadav
खण्ड अधिकारी (राज
श्री करणपुर

भूमि में प्लाट काटकर आवासीय मकान, स्कूल, दुकाने बनाकर अवैध रूप से अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत ...ते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

R yadav 10/12/24

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

R yadav 10/12/24

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इस्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्थान सरकार बनाम नीरज छाबड़ा आदि

धारा अन्तर्गत 177 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 103/2017

निर्णय दिनांक :- 10.12.2024

...मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर ...कार राज व प्रतिवादीगण **अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, व श्री पंकू शर्मा** उपस्थित ... दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान ...नियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ.ए. ... 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत ... के खाता संख्या 43/41 व खाता संख्या 110/89 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला ... 13 ता 18, 23, 24, 25 की कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए ...सीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया ...प्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

... 10.12.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
...दावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
...कालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	04	00
...र्जी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
	00	**00**	**योग**	**08**	**00**

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांक: 10.12.2024

...डर/2024/616

...तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना ...रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर